कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर

(शान्ति नगर दमोह नाका, पानी की टंकी के नीचे, 0761-2349927, cephedjab@nic.in)

क्रमांक 231 /मु.अ./ विधि/ /लो.स्वा.यां./2024 जबलपुर दिनांक 20/09/2024

कथनादेश

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक WP 14990/2024 श्री आर.डी.चौरसिया बनाम प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं अन्य मे शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड उमरिया के अधीनस्थ सेवारत कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिक कर्मचारी द्वारा रिट पिटिशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है ।

(1) श्री आर.डी.चौरसिया (से.नि.) कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिक कर्मचारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटिशन क्र. 14990/2024 दायर कर, माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :-

प्रतिपादियों को निर्देशित किया जावे कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारी को 120 दिवस/300 दिवस का अवकाश नगदीकरण प्रदान करें।

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 24.08.2024 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

Learned counsel for the petitioner by the instant petition is claiming that the leave encashment of the petitioner is not being settled by the respondents. He submits that the petitioner has made a representation dated 05.12.2023 (Annexure-P/10) before respondent No.3, but the same is still pending and not decided so far.

The petition is disposed of directing the petitioner to make a fresh representation within a period of 30 days before respondent No.3, who in turn, shall consider and decide the representation within a further period of 60 days therefrom in accordance with law.

It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case. The claim of the petitioner shall be decided as per his entitlement.

With the aforesaid, the petition stands disposed of.

(3) रिट याचिका क्रमांक 14990/2024 मे पारित निर्णय दिनांक 24.08.2024 के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड उमरिया अधीनस्थ श्री आर.डी.चौरसिया सेवानिवृत्त कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिक की मांगों का निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है :-

(a) यह कि आपको विभाग में दैनिक वेतन भोगी हैंडपंप मैकेनिक के पद पर दिनांक 24 जून 1986 को रखा गया था। तत्पश्चात म.प्र.शासनं कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग वे.आ.प्र. के ज्ञाप क्रमांक 16/1188/प्र.अ.पृ. दिनांक 09.01.1990 तथा मुख्य अभियंता परिक्षेत्र जबलपुर के पत्र क्रमांक 2318 दिनांक 30.05.1991 के द्वारा उपयुक्त पाये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को परिक्षेत्रीय छानबीन समीती की अनुसंशानुसार अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रीवा मंडल रीवा के

आदेश क्रमांक 123 दिनांक 03.07.1991 द्वारा आपको म0प्र0 कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेंवा नियमों में विहित प्रावधानों के तहत् कार्यभारित स्थापना में हैंडपंप मैकेनिक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा आपको आपके पद के अनुरूप समय–समय पर वेतन संबंधित समस्त लाभों का भुगतान किया जा चुका हैं।

(b) यह कि आपकी सेवाएँ पूर्णतः कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि की सेवा शर्तों के अधीन अधिशासित थीं। अतः आपको नियमित स्थापना अंतर्गत 300 दिवस के अवकाश प्रदान करने की पात्रता नहीं होती है।

(c) म.प्र.शासन वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक 1206/2644/92/नि–2/चार,भोपाल दिनांक 14 सितंबर 1992 के परिपेक्ष्य में आपको अवगत कराया जाता है कि कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति /मृत्यु के समय शेष अर्जित अवकाश के समर्पण एवं नगदीकरण बावत् स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग, के ज्ञापन क्रमांक एफ.ए. 1/13/77/नि–1/चार, दिनांक 16.09.1980 सहपठित ज्ञाप क्रमांक 161/4131/82/नि–1/चार, दिनांक 31.01.1983 में विहित प्रावधान अनुसार कार्यभारित तथा आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को लागू नहीं है।

उपरोक्तानुसार आपके द्वारा की गयी मांग कि आपको 120 दिवस/300 दिवस के अवकाश के नगदीकरण का भुगतान किया जावें, किसी भी भांति तथ्यों पर आधारित न होने के कारण अमान्य की जाती है।

(4) जहां तक न्यायालयीन निर्धारण का प्रश्न है , तो यह मामला माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 1228/2023 (प्रकाश सिंह कुशवाह बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2023 एवं आर.पी. क्र 506/2012 (म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध श्रीमति श्यामा बाई) में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2014 तथा रिट अपील क्र. 1175 /2010 (म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध लल्लू गयाराम) में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2016 द्वारा पूर्व में ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है, जिसके अनुसार :–

"संदर्भित नियम 1977 के नियम 4 के अनुसार कार्यभारित कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की पात्रता है तथा इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं"।

(5) उपरोक्तानुसार श्री आर.डी.चौरसिया सेवानिवृत्त कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिक कार्यभारित स्थापना में कार्यरत थे। कंडिका क्र. 3 के अनुसार आपको आपके पद के अनुरूप वेतन संबंधी सभी परिलाभों का भुगतान किया गया है। रिट याचिका क्र. 14990/2024 मे पारित निर्णय दिनांक 24.08.2024 के परिपालन में याचिकाकर्ता कर्मचारी द्वारा की गई मांगो को नियमानुसार अमान्य कर निरस्त किया जाता है।

(एच.एस.गौड़)
मुख्य अभियंता

पृ.क्र. 2206 /मु.अ. /विधि./लो.स्वा.यां./2024 जबलपुर दिनांक 20/9/24

प्रतिलिपिः—

(1) महाधिवक्ता महोदय,माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(2) उप सचिव,म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(3) प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(4) अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शहडोल मंडल शहडोल की ओर सूचनार्थ ।

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(6) श्री आर.डी.चौरसिया सेवानिवृत्त कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिक कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड उमरिया की ओर सूचनार्थ ।

मुख्य अभियंता

E(LAW) 7/10/24

7-5995
08/10/2024

Shri Dinesh

8/10